सर्वश्रेष्ठ संस्थान के लिए दो बार 'कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग' के अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार से सम्मानित
शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 'स्वच्छ कैम्पस रैंकिंग २०१९' मानांकन प्राप्त

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक

(नॅक मानांकन 'अ' श्रेणी)

Website: ycmou.ac.in

मानविकी एवं समाजिक विज्ञान संकाय

एम. ए. हिंदी (M51)
स्नातकोत्तर उपाधि (एम. ए.) शिक्षाक्रम द्वितीय वर्ष

शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका

शैक्षिक वर्ष : २०२५ -२०२६



विश्वविद्यालय गीत

एक प्रतिज्ञा असे आमुची ज्ञानाची साधना ।
चिरंतन ज्ञानाची साधना ।
ज्ञान हेच संजीवन साऱ्या जगताच्या जीवना ॥ धृ ॥

ज्योत जागवू सुजाणतेची सकलांच्या अंतरी ।
तीच निवारील पटल तमाचे प्रभात सूर्यापरी ।
ज्ञानच देउळ, ज्ञानच दैवत, प्रगतीच्या पूजना ।। १ ।।

नव्या युगाचा नव्या जगाचा ज्ञान धर्म आहे ।
त्यातच अमुच्या उजळ उद्याचे आश्वासन राहे ।
मुक्त करिल तो परंपरेच्या बंदिघरातुन मना ॥ २ ॥

हाच मंत्र नेईल आम्हाला दिव्य भविष्याकडे ।
न्यायनीतीचे पाऊल जिथे भेदाशी ना अडे ।
जे जे मंगल पावन त्याची जेथे आराधना ।। ३ ।।

कुसुमाग्रज

निर्मिती
प्रा. नागार्जुन वाडेकर
निदेशक, मानविकी एवं समाजविज्ञान संकाय,
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक - ४२२ २२२

निर्मिती सहायक
डॉ. पन्नालाल धुर्वे
शैक्षणिक समन्वयक , मानविकी एवं समाजिक विज्ञान संकाय
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक - ४२२ २२२

© २०२५ यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नासिक
प्रकाशन : जुलाई, २०२५
शब्द संयोजन : गुलाब घाटाळ, मानविकी एवं समाजिक विज्ञान संकाय
प्रकाशक : दिलीप भरड, कुलसचिव, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नासिक - ४२२ २२२

हिंदी स्नातकोत्तर उपाधि (एम. ए.) (M51): द्वितीय वर्ष शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका

अनुक्रमणिका

१. मुक्त विश्वविद्यालय का परिचय

१.१ मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्य

२. संकाय का परिचय

२.१ संकाय के उद्देश्य

२.२ संकाय की प्रमुख विशेषताएँ

३. अध्ययन पद्धति

३.१ क्रेडिट पद्धति

३.२ अध्ययन सामग्री

४. शिक्षाक्रम के संबंध में

४.१ एम. ए हिंदी शिक्षाक्रम की संरचना

४.२ शिक्षाक्रम के उद्देश्य और अपेक्षित अधिगम परिणाम

५. पाठ्यक्रम संरचना

५.१ द्वितीय वर्ष एम. ए. पाठ्यक्रम (प्रवेश पात्रता, अवधि, माध्यम, शुल्क विवरण)

६. मूल्यांकन प्रक्रिया

६.१ द्वितीय वर्ष एम. ए. पाठ्यक्रम मूल्यांकन पद्धति (आंतरिक, सत्रांत)

७. Academic Bank of Credits ID संबंधी निर्देश

८. पंजीकरण प्रक्रिया

९. क्षेत्रीय केंद्र

१०. विशेष सूचनाएँ / संपर्क हेतू

११. परिशिष्ठ

परिशिष्ठ १ : उम्मीदवार / छात्र करारनामा

परिशिष्ठ २ : गरीब छात्र सहायता योजना के नियम

परिशिष्ठ ३ : University Grants Commission Resolution (2004)

परिशिष्ठ ४ : G.R. of Equivalenc and Approval

परिशिष्ठ ५ : १० वी और १२ वी से समकक्षता संबंधी सरकारी निर्देश

परिशिष्ठ ६ : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मान्यता

परिशिष्ठ ७ : एक से अधिक शिक्षाक्रम में पंजीकरण की अनुमती

परिशिष्ठ ८ : छात्र सहायता और छात्र कल्याण योजना

१. मुक्त विश्वविद्यालय का परिचय

मुक्त विश्वविद्यालय' यह अवधारणा नई है, इसे दुनिया भर में व्यापक स्वीकृति मिली है। विभिन्न कारणों से अनेक लोगों को शिक्षा बीच में ही छोड़नी पडी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं की कमी के करण शिक्षा से वंचित और नौकरियों तथा व्यवसायों के कारण आगे की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा होने के बावजूद शिक्षा पुरी नहींकर पाते ऐसे तमाम लोगों के लिए उच्च शिक्षा के सुअवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुक्त विश्वविद्यालय क्रियात्मक हो गए हैं। विश्व का पहला मुक्त विश्वविद्यालय इंग्लैंड में १९६५ को स्थापित किया गया। इसके बाद चीन, जापान, कनाडा, थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अनेक देशों में मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं और समाज के इच्छित लोगों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय १९८२ को हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)में स्थापित किया गया। १९८५ में, केंद्र सरकार ने दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके बाद क्रमशः राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, असम, उत्तराखंड, ओडिशा, पंजाब और केरल आदि राज्यों में भी मुक्त विश्वविद्यालयों का कार्य प्रारंभ हो गया।

महाराष्ट्र में सामाजिक और शैक्षिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अनेक महान विचारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले, राजर्षि शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. पंजाबराव देशमुख, कर्मवीर भाऊराव पाटील, और स्वामी रामानंद तीर्थ आदि महान व्यक्तियों ने अमूल्य योगदान दिया है। उनकी कार्य को आगे बढ़ाते हुए, उच्च शिक्षा गाँवों तक पहुँचाने के लक्ष्य को साकार करने हेतु, महाराष्ट्र में अन्य विश्वविद्यालयों की तरह १ जुलाई १९८९ को महाराष्ट्र सरकार द्वारा विधिमंडल क्रमांक XX (१९८९) के तहत मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह विश्वविद्यालय आधुनिक महाराष्ट्र के जननायक यशवंतराव चव्हाण के नाम से स्थापित किया गया है।

यह भारत का पाँचवा और महाराष्ट्र का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय का मुख्यालय नाशिक शहर में स्थित है। विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र पूर्ण महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ८ क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में २४०० से अधिक छात्र सहायता केंद्र जुड़े हुए हैं। यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम की धारा १२(बी) के तहत मान्यता दी गई है। महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळ और यूजीसी ने विश्वविद्यालय को विभिन्न प्रमाणपत्र, पदविका कोर्स, स्नातक, स्नातकोत्तर शिक्षाक्रम और शोध (अनुसंधान) के लिए अनुमति दी है। यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय ने अनेक नामित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग किया है और सदस्य भी है। विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार से दो बार सम्मानित किया गया है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने हाल ही में नॅक मानांकित 'अ' श्रेणी प्राप्त की है।

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय देश के सभी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के समकक्ष हैं। महाराष्ट्र सरकार एवं भारत सरकार के मान्यताप्राप्त सभी सरकारी, निजी संस्थानों, विविधमंडलों में नौकरी, नौकरी में बढ़ती प्राप्त करना और आगे की शिक्षा के हेतु इस विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम से समकक्ष है। महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग ने पहले ही यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों को महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग की परीक्षा के लिए पात्र माना है। विश्वविद्यालय के अनेक छात्र राज्य लोकसेवा आयोग और केंद्रीय लोकसेवा आयोग की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चुके हैं।

महाराष्ट्र राज्य एवं राष्ट्र के विकास में सुसंगत और समन्वित रूप से विभिन्न शिक्षाक्रम उपलब्ध कराने का मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य रहा है। तकनीकी विज्ञान और उससे संबंधित जीवन पद्धतियों के बदलते संदर्भ में समाज को ज्ञानमय आधार पर शिक्षाक्रम विकसित करना मुक्त शिक्षा पद्धति का लक्ष्य रहा है। इसलिए,'जीवनभर शिक्षा','काम करते-करते शिक्षा','नौकरी और व्यवसाय में पूरक शिक्षा', तथा 'कौशल आधारित शिक्षा' की संकल्पना को प्रत्यक्ष रूप में साकार कर अध्ययनशील समाज के विकास में विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

"ज्ञानगंगा घर-घर" यह विश्वविद्यालय का ब्रीदवाक्य (Motto) है और यह 'लोग विश्वविद्यालय' बनने की दिशा में अग्रसर हो रह है। समाज के वंचित समूह/तबके और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों तक शिक्षा पहुँचाने कार्य विश्वविद्यालय कर रहा है। मुख्यालय, क्षेत्रीय केंद्र, जिला केंद्र और छात्र सहायता केंद्रों के माध्यम से विश्वविद्यालय विविध शिक्षाक्रम ग्रामीण,शहर और आदिवासी क्षेत्र तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराना विश्वविद्यालय की नीति रही है। यशवंतराव चव्हाणजी के शैक्षिक तात्विकता के अनुसार,'लोगभाषा' को ज्ञानभाषा का दर्जा प्रदान करना विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है।

१.१ मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्य

१. समाज के आर्थिक कमजोर लोगों तक 'ज्ञानगंगा' पहुँचाकर और शहर, ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्र के परिश्रमी, गृहिणी एवं विविध वयस्कों की आवश्यकताओं को पहचानकर स्नातक, स्नातकोत्तर शिक्षा, व्यावसायिक, तकनिकी व अन्य शिक्षा-प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर, समाज के विविध स्तर के लोगों की ज्ञानात्मक विषमता को दूर करना।

२. हर कोई जो सीखना चाहता है, उसे उम्र, अवधि और पात्रता नियमों की बाधाओं को दूरकर आसानी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए लचीली और क्रियात्मक मुक्त शिक्षा प्रणाली का समावेश

३. पारंपरिक विश्वविद्यालय में शिक्षा पूरी न कर पाए छात्रों को प्राप्त शैक्षिक शिक्षा के आधार पर मुक्त विश्वविद्यालय में उपलब्ध शिक्षाक्रम (Credit Transfer System) में प्रवेश देकर शिक्षा के लिए आगे बढ़ावा देना।

४. अनौपचारिक और निरंतर शिक्षा के साथ-साथ शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न कला-कौशलों का विकास करना, गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना, बदलती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए वयस्कों को नई तकनीकों में प्रशिक्षित करना, कला-परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम विकसित करना, विशेष रूप से महाराष्ट्र और भारत की सामाजिक जागरूकता की सांस्कृतिक संचय और विरासत, और राष्ट्रीय एकता और व्यक्तित्व के विकास के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम विकसित करना।

५. केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर न रहकर के अपनी प्रशासनिक खर्चों के संदर्भ में आत्मनिर्भरता पर जोर देकर निजी और सामाजिक संस्थानों के वित्तीय सहयोग प्राप्त करना और आधुनिक कंप्यूटर उपकरणों का प्रभावी उपयोग कर किफ़ायतीदर और गुणवत्ता पर आधारित कार्य प्रणाली विकसित करना।

२. संकाय का परिचय

मानविकी एवं समाजविज्ञान संकाय में मानवीय मूल्यों के साथ-साथ कला, भाषा, साहित्य, सृजनशीलता, तथा पारिवारिक संस्थान, राज्य और वित्तीय संस्थान आदि की संरचना, दर्शन, इतिहास और परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। २१वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए बौद्धिक तैयारी करना और अध्ययनशील समाज के लिए शैक्षिक संसाधनों का विकास करना इस संकाय का उद्देश्य है। व्यक्ति विकास पर जोर देना व्यक्ति का समग्र विकास के लिए सहायक भूमिका के रूप में संकाय अपना योगदान दे रहा है।

२.१ संकाय के उद्देश्य

मानविकी एवं समाजविज्ञान संकाय के उद्देश्य निम्नलिखित है:

१. छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम विकसित करना।
२. मुक्त शिक्षा प्रणाली के अनुसार लचीली अध्ययन और अध्यापन पद्धतियों का अनुपालन करना।
३. समाज में शिक्षा से वंचित, उपेक्षित वर्गों तक शिक्षा पहुँचाना।
४. छात्रोंको मानविकी एवं समाजविज्ञान संकाय के ज्ञान क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।
५. नवज्ञान आधारित समाज की रचना करना।
६. दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जनसामान्य तक जाकर पहुंचकर लोगों के लिए लोग विश्वविद्यालय का निर्माण करना।

२.२ संकाय की प्रमुख विशेषताएँ

१. विश्व की विविध संस्कृति, राज्य एवं राष्ट्र की विकासात्मक परंपरा और इतिहास आदि के अध्ययन के लिए प्रमाणपत्र, पदविका (डिप्लोमा) ,स्नातक, स्नातकोत्तर, और पी.एचडी शिक्षाक्रमों का समावेश।

२. स्वतंत्रता, समता, बंधुता, मानवाधिकार आदि मूल्यों के साथ पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, मानव विकास सूचक, सतत विकास के उद्देश्य आदि वैश्विक कल्याणकारी संगठनों के कार्यों का समावेश।

३. महिलाओं का सशक्तिकरण,वंचितों की अस्मिता के लिए संघर्ष, भाषा, धर्म, एवं प्रदेशों की विविधता में एकता के लिए बनाए गए नमूनों का समावेश।

४. वैश्वीकरण और स्थानीय विकास की समायोजन कर विविधआशय का पाठ्यक्रम में समावेश।

५. ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, जनसंचार व जनसंज्ञापन, गांधी विचारदर्शन, मानवधिकार, ग्राहक संरक्षण ऐसे विशेष विषय के अनुसार स्वतंत्र शिक्षाक्रम।
६. सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ने वाले अनुप्रयुक्त पाठ्यक्रम।
७. व्यक्ति की सर्जनशीलता और कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित करने वाले अपारंपरिक पाठ्यक्रम।
८. व्यक्तित्व विकास और व्यावसायिक सफलता के लिए पूरक कौशल को बढ़ावा देनेवाला पाठ्यक्रम।
९. स्वयं-अध्ययन हेतु नवीनता से परिपूर्ण शिक्षा।
१०. मूलभूत पाठ्यक्रम में विविध संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण पर जोर दिया गया है।
११. स्व-अध्ययन पुस्तकें, स्व-अध्ययन, क्षेत्रिय कार्य, परियोजना अध्ययन, वेब के माध्यम से छात्रों को मार्गदर्शन और अकादमिक सहायता।
१२. प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों को उनकी रुचियों के अनुसार विषय चयन की सुविधा दी गई है।

३. अध्ययन पद्धति

जिन छात्राओं को रोज़ महाविद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते अथवा अध्ययन के लिए पूरा समय देना (क्लास रूम) में देना संभव नहीं है। ऐसे छात्रों के लिए मुक्त विश्वविद्यालय ने स्वतंत्र रूप से अध्ययन पद्धति विकसित की है। इसमें निम्न बिंदुओ का समावेश किया है :-

- स्वयं-अध्ययनाधारित पाठ्यपुस्तकें, विषय विद्वान् प्राध्यापकों का संपर्क सत्र
- अध्ययन काल के दौरान मूल्यांकन की सुविधा,आवश्यकतानुसार प्रायोगिक कार्य करने का अवसर

अध्ययन पद्धति में छात्रों को केवल पाठ्यक्रम का विवरण ही नहीं दिया जाता है, बल्कि अध्ययन सामग्री भी प्रदान की जाती है। यह अध्ययन सामग्री की सॉफ़्ट कॉपी विश्वविद्यालय की वेबसाइट ycmou.ac.in अथवा ycmou.digitaluniversity.ac.in पर सभी के लिए उपलब्ध हैं। छात्रों को इसका उपयोग करना है। यह स्व-अध्ययन पुस्तकें अन्य पुस्तकों से अलग रूप में लिखी जाती हैं। पुस्तकों का लेखन और संपादन विशेषज्ञ और अनुभवी विद्वानों द्वारा किया गया है।

छात्रों के पास यह अध्ययन सामग्री हमेशा के लिए उपलब्ध होती है और वे इसे स्वतंत्र रूप से अपने पास रख सकते हैं। पुस्तकें छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित की गई है, ताकि छात्र को एक ही बार पढ़कर समझ सके। साथ ही, आकृतियाँ, तालिकाएँ, आलेख, चित्र और उदाहरण के माध्यम से विषयों को सरल, सुबोध रूप में प्रस्तुत की गई है। छात्रों की अध्ययन प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से इन पुस्तकों का निर्माण किया गया है। प्रत्येक पृष्ठ पर दोनों ओर पर्याप्त जगह छोड़ी गई है ताकि छात्र पढ़ते समय आनेवाले शंकायें/समस्याएँ रिक्त जगह पर लिख सकें। अध्ययन विषय का पुनरावलोकन करते समय ये टिप्पणियाँ उनके लिए सहायक हो सकती हैं।

पाठ्यांश के अंत में कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। इकाई पढ़ने के बाद, छात्र इन प्रश्नों के उत्तर देकर स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं कि उन्होंने उस भाग को कितना समझा है। इससे उन्हें विश्लेषण और मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। यदि उन्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं, तो उन्हें उस भाग को फिर से पढ़कर उत्तर खोजने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद भी यदि कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं, तो वे इन प्रश्नों को दर्ज कर अपने छात्र सहायता केंद्र के संपर्क सत्र में मार्गदर्शक (काउंसलर/सलाहकार) से चर्चा करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

छात्र सहायता केंद्रों में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आमतौर पर छुट्टियों के दिन संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इन संपर्क कार्यक्रमों में संबंधित विषयों के विशेषज्ञ (प्रोफेसर) मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संपर्क कार्यक्रमों का मार्गदर्शन केवल व्याख्यानों के रूप में नहीं होता है। मार्गदर्शकों के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना, कठिन विषयों पर आयोजित चर्चा में जुड़ना, संवाद में सहभागी होना और आंतरिक मूल्यांकन में अपनी प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतू छात्रों को संपर्क सत्र में उपस्थित रहने की आवश्यकता होती है, ताकि वे सभी अध्ययन सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करके अपनी स्व-अध्ययन पद्धति को तैयार कर सकें। हमें अपने समय का ठीक से नियोजन करके अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन केवल पाठों को पढ़ने का काम नहीं है, बल्कि उसकी वास्तविक समझ और सही समय पर उसका उपयोग करने की क्षमता है।

इसलिए, छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रयोग /प्रदर्शन और सराव पर जोर दें, ताकि वे अध्ययन के सभी पहलुओं को समझ सकें और उन्हें सही तरीके से उपयोग कर सकें।

३.१ क्रेडिट पद्धति

मुक्त शिक्षा प्रणाली में अध्ययन घंटों को 'क्रेडिट' के रूप में मापा जाता है। लगभग 30-35 अध्ययन घंटों का अध्ययन एक क्रेडिट के बराबर माना जाता है। अध्ययनार्थी छात्रों को एक क्रेडिट का अध्ययन करने के लिए 30-35 घंटे लगते हैं। अध्ययन घंटों में स्वयं अध्ययन, पुस्तकें पढ़ना, नोट्स बनाना, ध्यान करना, पाठ्यक्रम के ऑडियो-विजुअल टेप देखना, इंटरनेट पर लिखित सामग्री पढ़ना, विषय विद्वान से मार्गदर्शन लेना, सहपाठियों के साथ चर्चा करना, प्रश्नों के उत्तर लिखना, और अन्य शैक्षिक प्रयास शामिल हैं। स्नातकोत्तर परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने के लिए कुल 64 क्रेडिट का पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य है।

३.२ अध्ययन सामग्री

मुक्त विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति पारंपरिक विश्वविद्यालयों की शिक्षा पद्धतियों से भिन्न है। मुक्त विश्वविद्यालय की पद्धति छात्र-केंद्रित शिक्षण पद्धति है। इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा प्रणाली अपनाई जाती है। इसके लिए निम्नलिखित माध्यमों का प्रयोग किया जाता है- मुद्रित अध्ययन सामग्री, दृश्य-श्रव्य सामग्री और चर्चा सत्र (Counselling)आदि।

छात्रों को अध्ययन सामग्री विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://ycmou.digitaluniversity.ac और www.ycmou.ac.in से PDF के रूप में डाउनलोड कर अध्ययन करें।

- **दृश्य-श्रव्य सामग्री**

अनुपूरक अध्ययन सामग्री के रूप में विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा दृश्य-श्रव्य वीडियो का निर्माण किया है। ये सभी वीडियो विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कृपया उनका उपयोग करें।

४. शिक्षाक्रम के संबंध में

छात्रों की विविध प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और स्नातक शिक्षा पूरा करने वाले छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का अवसर प्राप्त कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने एम.ए. शिक्षाक्रम विकसित किए हैं। इस शिक्षाक्रम के माध्यम से रचनात्मक, आलोचनात्मक क्षमताओं साथ-साथ विविध कौशलों का विकास होगा। इस उद्देश्य से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर शिक्षाक्रम शुरू किया गया है।

एम. ए. हिंदी शिक्षाक्रम में हिंदी साहित्य के विविध आयाम हैं,जैसे कि प्राचीन एवं मध्यकालीन साहित्य और आधुनिक साहित्य के गहन अध्ययन का अवसर मिलेगा। हिंदी में एम.ए. करने के बाद शिक्षा क्षेत्र अध्यापक, पत्रकारिता, अनुवादक, लेखक, बैंक में राजभाषा अधिकारी, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थान में कनिष्ठ अनुवादक के रूप में नौकरी और अनुसंधान की सभावानाएँ आदि अनेक क्षेत्रों में करियर का सुअवसर उपलब्ध होगे। हिंदी साहित्य की अध्ययन करने से केवल भाषा की बारीकियों की समझ नहीं बढ़ेगी, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज का गहरा ज्ञान प्राप्त होगा।

एम.ए. हिंदी शिक्षाक्रम पूर्ण के बाद पी.एच.डी. और अन्य शोध कार्यों के लिए विविध रास्ते खुलते हैं, जिससे छात्र को शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में योगदान देने का मौका मिलेगा। लिखित और मौखिक कौशल में सुधार होगा। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होने के करण इसकी महत्व अपने-आप बढ़ जाती है। हिंदी भाषा का अंतरराष्ट्रीय स्तर भी महत्वपूर्ण स्थान है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय ने एम.ए. हिंदी स्नातकोत्तर शिक्षाक्रम शुरू किया है।

४.१ एम. ए. हिंदी शिक्षाक्रम की संरचना

हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.ए.) हिंदी (M51) का शिक्षाक्रम 64 क्रेडिट् का होता है। यह शिक्षाक्रम सत्र प्रणाली के आधार पर होगा, प्रत्येक पाठ्यक्रम 4 क्रेडिट का है और सभी पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। प्रत्येक सत्र में आंतरिक मूल्यांकन और सत्र के अंत में अंतिम परीक्षा होगी।

४.२ शिक्षाक्रम के उद्देश्य और अपेक्षित अधिगम परिणाम (Programme Objectives and Learning Outcomes)

- **शिक्षाक्रम के उद्देश्य (Programme Objectives)**

१. हिंदी साहित्य की विविध कलाओं का प्रवृत्तिगत अध्ययन करना।
२. हिंदी साहित्य के वर्गीकरण के आधारपर अध्ययन करना।
३. साहित्य की विविध विधाओं को समझना और विश्लेषण करना।
४. लोकसाहित्य के क्षेत्र में शोध करना और इसके प्रमुख पहलुओं को समझना।
५. प्रमुख साहित्यकारों और उनके साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन करना।
६. संवाद कौशल और प्रस्तुति कौशल को विकसित करना।
७. आलोचनात्मक सोच को विकसित करना।

- **अपेक्षित अधिगम परिणाम (Programme Learning Outcomes)**

१. हिंदी साहित्य की विभिन्न कलाओं के प्रवृत्तिगत अध्ययन से विभिन्न साहित्यिक कलाओं को समझने और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित होगी।
२. हिंदी साहित्य के वर्गीकरण के आधार पर साहित्यिक युगों और धाराओं को समझने और उनकी पहचान करने में सक्षम होंगे।
३. साहित्य की विभिन्न विधाओं का स्वरूपात्मक ज्ञान प्राप्त करके छात्रों में साहित्यिक रूपों और उनकी विशेषताओं की पहचान करने की क्षमता विकसित होगी।
४. लोकसाहित्य के क्षेत्र में शोधकार्य करने के अध्ययन से छात्र शोध की मूलभूत विधियों से परिचित होंगे।
५. प्रमुख साहित्यकारों और उनके साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन करने से छात्रों में साहित्यिक समझ में वृद्धि होगी।
६. संवाद कौशल और प्रस्तुति कौशल को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित होंगे।
७. आलोचनात्मक सोच को विकसित करने से छात्रों में साहित्यिक और गैर-साहित्यिक विषयों पर गहन विचार करने और उन्हें आलोचनात्मक दृष्टिकोण से समझने की क्षमता विकसित होगी।

५. पाठयक्रम संरचना

५.१ द्वितीय वर्ष एम. ए. पाठ्यक्रम

५.१.१ प्रवेश पात्रता (Eligibility Criterion)

एम. ए. हिंदी शिक्षाक्रम के द्वितीय वर्ष में पंजीकरण लेने हेतू निम्नलिखित योग्यता होनी आवश्यक है।
(Eligibility criterion for enrolling into the Second Year of M.A. Hindi Degree Program.)

- यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय में CBCS योजना के अनुसार (2023 से पहले) एम. ए. हिंदी प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र।
  (All students who had enrolled in the First Year of the M.A. Hindi Post Graduate Degree Program under the CBCS pattern (before 2023) at Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University.)

५.१.२ अवधि

UGC Notification of Specification of Degrees, 2014 और UGC (ODL Programmes & OL Programmes) Regulations, 2020 अनुसार स्नातकोत्तर उपाधि (एम.ए.) शिक्षाक्रम दो वर्ष का होने के बावजूद, उसे चार वर्षों तक पूरा करने की अनुमति दी गई है।

दूरस्थ शिक्षा पद्धति में छात्र काम करते हुए शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसलिए अध्ययन-अवधि के संबंध में लचीलेपन की नीति अपनाई गई है। यदि प्रवेश वर्ष में किसी कारणवंश अध्ययन पूरा नहीं कर पाया, ऐसे में उस वर्ष के अंत में होनेवाली परीक्षा देना अनिवार्य नहीं होता। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा दे सकता है, वर्ष में दो बार परीक्षा देने का अवसर मिलता है। यहां तक कि अगर आप पहले या दूसरे वर्ष के सभी पाठ्यक्रमों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो छात्रों को तीसरे वर्ष में प्रवेश करने का मौका मिलता है, लेकिन विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, छात्र परीक्षा आवेदन (form) भर सकते हैं और परीक्षा दे सकते। मुद्रित अध्ययन सामग्री पुन: पंजीकरण अवधि के दौरान उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर .pdf प्रारूप उपलब्ध होगी। छात्र इसकी सहायता से अध्ययन कर परीक्षा दे सकते हैं।

५.१.३ पढ़ाई का माध्यम

सभी पाठ्यक्रमों की पाठ्य-पुस्तकें, पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन, गृहकार्य, कक्षा में पाठ्यक्रम का मूल्यांकन और अंतिम परीक्षा के प्रश्नपत्र हिंदी भाषा में ही उपलब्ध होंगे।

५.१.४ शुल्क विवरण

अ.क्र.	शुल्क विवरण	शुल्क
१.	शैक्षणिक शुल्क	३०४०.००
२.	छात्र सहायता केंद्र शुल्क	२०००.००
३.	परीक्षा शुल्क	१६००.००
४.	उपाधि प्रदान शुल्क	४५०.००
५.	पंजीकरण शुल्क	२००.००
६.	ई-सुविधा शुल्क	७०.००
७.	शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका शुल्क	५०.००
८.	छात्र कल्याण शुल्क	५०.००
९.	खेल शुल्क	५०.००
१०.	मा. राज्यपाल कार्यालय के उपक्रम	३८.००
११.	पुस्तकालय शुल्क	१०.००
१२.	संवाद पत्रिका शुल्क	२०.००
१३.	छात्र बीमा शुल्क	१०.००
१४.	राष्ट्रीय सेवा योजना शुल्क	१०.००
१५.	आपदा प्रबंधन शुल्क	१०.००
१६.	पूर्व छात्र संघ शुल्क	१०.००
	कुल शुल्क (सात हजार छह सौ अठाहरा रुपये मात्र)	**७,६१८.००**

❖ शिक्षाक्रम शुल्क के संबंध में सूचना

आवेदकों को प्रवेश लेने वाले शिक्षाक्रम के प्रवेश शुल्क की जानकारी शिक्षाक्रम दर्शिका में उपलब्ध कराई गई है, उसी के अनुसार शुल्क को एकत्र/पूरा करके भरना अनिवार्य है। इस शुल्क में छात्र सहाय्यता केंद्र का शुल्क समाविष्ट होता है, तो छात्र को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इस शुल्क के भुगतान के लिए प्रवेश आवेदन के बाद दिए गए लिंक से ही ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उपयोग करके क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क जमा करना आवश्यक है। दिए गए लिंक के अतिरिक्त किसी भी अन्य लिंक पर भरे गए शुल्क को मान्य नहीं माना जाएगा। इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

५.१.५ द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम

❖ **तृतीय सत्र**

अ.क्र.	अभ्यासक्रम स्वरूप	सांकेतांक	अभ्यासक्रम शीर्षक	श्रेयांक
१	अनिवार्य	HIN301	काव्यशास्त्र	४
२	अनिवार्य	HIN302	भारतीय साहित्य	४
३	अनिवार्य	HIN303	हिंदी आलोचना	४
४	अनिवार्य	HIN304	हिंदी वेब साहित्य	४

❖ **चतुर्थ सत्र**

अ.क्र.	अभ्यासक्रम स्वरूप	सांकेतांक	अभ्यासक्रम शीर्षक	श्रेयांक
१	अनिवार्य	HIN401	जनसंचार लेखन	४
२	अनिवार्य	HIN402	नाटक और रंगमंच	४
३	अनिवार्य	HIN403	साहित्य और सिनेमा	४
४	अनिवार्य	HIN404	अनुवाद अध्ययन	४

❖ द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम और स्वयं-अध्ययन सामग्री की सूची

❖ **तृतीय सत्र**

१. **काव्यशास्त्र (HIN301)**

पुस्तक १. भारतीय काव्यशास्त्र
पुस्तक २. भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांत
पुस्तक ३. पाश्चात्य काव्यशास्त्र
पुस्तक ४. पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांत

२. **भारतीय साहित्य (HIN302)**

पुस्तक १. भारतीय साहित्य की अवधारणा
पुस्तक २. प्रतिनिधि भारतीय कवि
पुस्तक ३. प्रतिनिधि भारतीय कथाकार
पुस्तक ४. प्रतिनिधि भारतीय नाटककार

३. **हिंदी आलोचना (HIN303)**

पुस्तक १.हिंदी आलोचना - स्वरूप एवं विकास.
पुस्तक २. हिंदी आलोचना- विविध वाद
पुस्तक ३. हिंदी आलोचना पर पाश्चात्य प्रभाव
पुस्तक ४.हिंदी के प्रमुख आलोचक

४. **हिंदी वेब साहित्य (HIN304)**

पुस्तक १. कंप्युटर (संगणक) प्रणाली- उद्भव और विकास
पुस्तक २. हिंदी वेब - उद्भव और विकास
पुस्तक ३. हिंदी वेब साहित्य
पुस्तक ४.भाषा प्रौद्योगिकी-विकास एवं प्रयोग

❖ **चतुर्थ सत्र**

५. जनसंचार (HIN401)

पुस्तक १. मुद्रित –माध्यामो के लिए लेखन
पुस्तक २. दृकश्राव्य माध्यामों के लिए लेखन
पुस्तक ३. टेलीविजन : प्रसारण तकनीक तथा कार्यक्रम निर्माण
पुस्तक ४. सोशल मिडिया के लिए लेखन

६. नाटक और रंगमंच (HIN402)

पुस्तक १. हिंदी नाटक और रंगमंच
पुस्तक २. हिंदी के प्रमुख नाटककार
पुस्तक ३. हिंदी में अनुवादित नाटक
पुस्तक ४. हिंदी के दृकश्राव्य नाटक

७. साहित्य और सिनेमा (HIN403)

पुस्तक १. सिनेमा परिचय
पुस्तक २. सिनेमा : पटकथा से परदे तक
पुस्तक ३. साहित्य और सिनेमा
पुस्तक ४. समाज और सिनेमा

८. अनुवाद अध्ययन (HIN404)

पुस्तक १. अनुवाद संकल्पना और स्वरूप
पुस्तक २. तकनीकी अनुवाद
पुस्तक ३. अनुवादक की विविध भूमिकाएँ
पुस्तक ४. अनुवादक पुनरीक्षण और मुल्यांकन

६. मूल्यांकन पद्धति

छात्रों का मूल्यांकन दो स्तरों पर किया जाएगा : सत्रांत परीक्षा (लिखित परीक्षा) और आंतरिक मूल्यांकन (गृहकार्य)। पाठ्यक्रम के अंक वितरण का अनुपात क्रमशः ८०:२० होगा।

६.१ मूल्यांकन पद्धति

६.१.१ आंतरिक मूल्यांकन पद्धति

आंतरिक मूल्यांकन में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए २० अंक का गृहकार्य दिया जाएगा। गृहकार्य के प्रश्न विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ycmou.ac.in या http://ycmou.digitaluniversity.ac पर उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्र गृहकार्य के प्रश्न छात्र सहायता केंद्र की सहायता से या स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं।

चार क्रेडिट वाले पाठ्यक्रम में गृहकार्य के लिए २० में से प्राप्त अंकों को गुणपत्र में स्वतंत्र रूप से [Continuous Assessment (CA)] के रूप में दर्शाया जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए २०% अंक भारांश (Weightage) निर्धारित किया जाएगा। उत्तीर्ण होने के लिए, प्रत्येक पाठ्यक्रम के आंतरिक मूल्यांकन में कम से कम ४० % अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

६.१.२ अंतिम मूल्यांकन (सत्रांत मूल्यांकन)

सत्रांत परीक्षा मूल्यांकन पद्धति का अभिन्न अंग है। प्रत्येक सत्र के अंत में सत्रांत परीक्षा (लिखित परीक्षा) होगी। प्रत्येक पाठ्यक्रम में ८० में से प्राप्त अंक गुणपत्र में स्वतंत्र रूप से [University Assessment (UA)] के रूप में दिखाए जाएंगे।प्रत्येक पाठ्यक्रम में अंतिम मूल्यांकन के लिए ८०% अंकों का भार (Weightage) होगा। उत्तीर्ण होने के लिए इसमें न्यूनतम ४०% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

७. Academic Bank of Credits-ID बनाने के बारे में सूचना/निर्देश

आपका Academic Bank of Credits-ID बनाना अनिवार्य है। आपको प्राप्त प्रमाणपत्र, पदविका/ डिप्लोमा, पदवी/ स्नातक उपाधि की जानकारी DigiLocker (ABC-NAD) पर भरनी होगी। इसके बिना अन्य पाठ्यक्रमों का क्रेडिट हस्तांतरण (Credit Transfer) नहीं किया जाएगा। छात्र को https://www.abc.gov.in इस पोर्टल पर Academic Bank of Credits-ID पंजीकरण करना होगा या विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ycmou.ac.in पर जाकर Student Zone लिंक पर क्लिक करें। सूची में Academic Bank of Credits पर क्लिक कर Academic Bank of Credit-ID बनाने के संबंध में प्रस्तुति देखें और उसके अनुसार अपना ABC ID बनाएं।

८. पंजीकरण प्रक्रिया

१. विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार, पंजीकरण प्रक्रियाँ ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। सबसे पहले, छात्रों को https://ycmou.digitaluniversity.ac विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाना होगा।

२. विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://ycmou.digitaluniversity.ac पर Admission टैब पर जाकर Prospectus (शिक्षाक्रम दर्शिका) २०२४-२५ लिंक पर क्लिक करें। विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की सूचना पुस्तिकाएं यहां उपलब्ध हैं। जिस शैक्षिक शिक्षाक्रम में आप पंजीकरण लेना चाहते हैं, उसकी सूचना पुस्तिका डाउनलोड करें। पंजीकरण से संबंधित (जैसे पात्रता, शुल्क, विषय-पाठयक्रम आदि) जानकारी पढ़ें और आवश्यक पृष्ठों/पन्नों की प्रिंट निकालें।

३. विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन पंजीकरण करते समय, शैक्षिक कार्यक्रमों के अनुसार छात्र सहायता केंद्रों की सूची उपलब्ध होगी। सूची में से अपने पसंदीदा छात्र सहायता केंद्र का चयन करें और उसका पता तथा केंद्र कोड लिखकर अपने पास रखें।

४. शिक्षाक्रम दर्शिका में दी गई जानकारी के अनुसार, पंजीकरण पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज जिसमें गुणपत्रिका फोटो और हस्ताक्षर या अन्य दस्तवेज JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट में स्कैन करें। हर एक फाइल का आकार 10MB से अधिक न हों।

५. ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने से पहले, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर Presentations> User Guide Presentation > Students टैब में दिए गए Online Admission की जानकारी देखें।

६. नए प्रवेशार्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण करने से पहले, विश्वविद्यालय की Online Admission लिंक पर जाकर अपना सक्रिय ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज कर USER ID और पासवर्ड बनाना आवश्यक है। आपका USER ID और One Time Password (OTP) दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्राप्त होगा। इसके द्वारा नया पासवर्ड बनाएं और फिर लॉगिन कर पंजीकरण फॉर्म भरें।

७. विश्वविद्यालय के पुराने छात्रों को लॉगिन करने के लिए अपना स्थायी पंजीकरण नंबर (PRN) और पिछले साल का पासवर्ड उपयोग करना हैं। पासवर्ड याद नहीं होने पर Forgot Password' लिंक का उपयोग कर आवश्यक जानकारी भरकर आगे की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करना है।

८. ऑनलाइन पंजीकरण करते समय पूछा गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। पंजीकरण पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज, फोटो, हस्ताक्षर आदि स्कैन करके अपलोड करें। अधूरी, अपूर्ण, गलत, या अस्पष्ट (ब्लर) दस्तावेज अपलोड न करें।

९. जिस शैक्षिक शिक्षाक्रम में आप पंजीकरण ले रहे हैं, उसका पंजीकरण शुल्क शिक्षाक्रम दर्शिका में दिए गए अनुसार भुगतान/भरना अनिवार्य है। ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में दी गई लिंक से ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से पंजीकरण शुल्क भरें। पंजीकरण फॉर्म में दी गई लिंक के अलावा किसी अन्य लिंक पर शुल्क भुकतान न करें।

१०. पंजीकरण की पुष्टि और अन्य जानकारी संबंधी ईमेल/एसएमएस संदेश आपके ईमेल आई डी और मोबाइल पर भेजा जाएगा। प्राप्त संदेश सँभलकर रखें।

११. छात्र अपने User ID और पासवर्ड का उपयोग कर पंजीकरण की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं। यदि आपका फॉर्म स्वीकृत (Approved)हैं या अस्वीकृत (Reject) टिप्पणी आपके प्रोफाइल में दिखाई देगा। अपने फॉर्म की स्थिति समय-समय पर जाँच करें।

१२. छात्र का पंजीकरण रद्द/अस्वीकार होने या दस्तावेज अपूर्ण होने के बारे में कोई भी ईमेल/संदेश विश्वविद्यालय से नहीं भेजा जाएगा। यदि गलत पंजीकरण हुआ है या पंजीकरण के लिए अपात्र /अयोग्य पाए जाते हैं, तो विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

१३. शैक्षिक शिक्षाक्रम सफलतापूर्वक पूरा होने तक आवेदक ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में दी गयी जानकारी को नहीं बदल सकते।

१४. अपने पंजीकरण की पुष्टि के लिए, ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म की प्रिंट और पात्रता संबंधित दस्तावेज छात्र सहायता केंद्र में जमा करें। प्रवेश प्राप्ति के बाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री का उपयोग करें।

१५. आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति संबंधी निर्देश वेबसाइट पर दिए गए हैं। उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर ऑनलाइन पंजीकरण और छात्रवृत्ति संबंधी ऑनलाइन आवेदन समाजकल्याण विभाग की वेबसाइट पर समय पर पूरा करें।

१६. छात्रों के ऑनलाइन पहचान पत्र छात्र सहायता केंद्र या छात्र स्वयं डाउनलोड कर प्रिंट ले सकते हैं।

१७. शैक्षिक वर्ष २०२४-२५ की शिक्षाक्रम दर्शिका में दिए गए पंजीकरण संबंधी सभी नियम, शर्तें और शपथ पत्र में दी गई जानकारी, तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और नियमों का पालन करना आवेदक के लिए अनिवार्य है।

९. क्षेत्रीय केंद्र

१. . **अमरावती :** यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय का अमरावती क्षेत्रीय केंद्र, वलगाव रोड, पोस्ट वी. एम. वी., अमरावती - ०४

२. **छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) :** यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय का संभाजीनगर क्षेत्रीय केंद्र, सर्वे नं. ४१, सैनिक बच्चों के छात्रावास के पूर्व में, नंदनवन कॉलोनी, छावनी, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) - ४३१००२, फोन नं. (०२४०) २३७१०७७, २३७१०६६, २३७१०८८

३. **मुंबई :** यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय का मुंबई क्षेत्रीय केंद्र, जगन्नाथ शंकरशेठ म. न. पा. की मराठी शाला, दूसरा मंजिल, फ्रेअर ब्रिज (साउथ), नाना चौक, ग्रांट रोड (प.), मुंबई - ४०० ००७, फोन नं. (०२२) २३८७४१८०, २३८७४१८७, २३८७४१७७

४. **नागपूर :** यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय का नागपुर क्षेत्रीय केंद्र, रावबहादूर डी. लक्ष्मीनारायण बंगला, विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिसर, लॉ कॉलेज कैम्पस, रवीनगर चौक, नागपुर - ४४० ००१

५. **नासिक :** यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय का नासिक क्षेत्रीय केंद्र, नासिक महानगरपालिका की पुरानी इमारत, दूसरी मंजिल, नई पंडित कॉलोनी, नासिक - ४२२ ००२, फोन नं. (०२५३) २३१७०६३

६. **पुणे :** यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय का पुणे क्षेत्रीय केंद्र, शाहीर अण्णाभाऊ साठे सभागृह, महापालिका शाला क्र. ५ (लडकी की), ६५४, सदाशिव पेठ, हौद के सामने , कुमठेकर मार्ग, पुणे - ४११ ०३०, फोन नं. (०२०) २४४५७९१४, २४४९११०७

७. **कोल्हापूर :** : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय का कोल्हापुर क्षेत्रीय केंद्र, शिवाजी विश्वविद्यालय परिसर, पोस्ट ऑफिस के पास, विद्यानगर, कोल्हापुर - ४१६ ००४, फोन नं. (०२३१) २६०७०२२, २६०७०२३

८. **नांदेड :** यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय का नांदेड़ क्षेत्रीय केंद्र, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पास, नांदेड़ – ०६

१०. विशेष निर्देश / संपर्क के लिए

अ) प्रवेश-आवेदन भरने के संबंध में निर्देश

१. प्रवेश -आवेदन भरने से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका ध्यान से पढ़ें।
२. छात्र को प्रवेश लेने से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण कर अपनी प्रोफाइल बनाना आवश्यक है। इसके लिए अपना मोबाइल नंबर (संभवतः व्हाट्सएप) और सक्रिय ईमेल आईडी दर्ज करें।
३. प्रवेश-आवेदन को स्वयं भरे, फोटो और हस्ताक्षर स्वयं अपलोड करे या व्यक्तिगत रूप से करवा लेना आवश्यक है। इसके बारे में सूचना पुस्तिका और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी पढ़ें। (१. वेबसाईट – Presentations २. Registration Page Link)
४. ऑनलाइन प्रवेश-आवेदन भरते समय महविद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र (**Leaving Certificate**) और अंतिम शैक्षिक योग्यता की अंकतालिका (**Marksheets**) अपलोड करना आवश्यक है।
५. प्रवेश आवेदन में जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। एक बार **Submit** किये गए आवेदन में परिवर्तन नहीं होगा किया।

आ) छात्र सहायता केंद्र के संबंध में निर्देश

१. पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के बाद संपर्क सत्र कब शुरू होंगे, इसके संबंध में छात्र सहायता केंद्र में जाकर समय सारणी देखें। पहचान पत्र पर छात्र सहायता केंद्र प्रमुख के हस्ताक्षर और मुहर (**Stamp**) लगवाएं। छात्र सहायता केंद्र में आते समय और परीक्षा के दौरान पहचान पत्र साथ लाना आवश्यक है।

२. विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित छात्र सहायता केंद्रों के अलावा किसी भी निजी संस्था या कोचिंग क्लास को विश्वविद्यालय की मान्यता नहीं है। ऐसी संस्थाओं या 'क्लास' में पंजीकरण लेने या अतिरिक्त शुल्क भरने के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

३. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित छात्र सहायता केंद्र पर अंतिम परीक्षा आयोजित की जाती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।

४. आंतरिक मूल्यांकन के लिए गृहकार्य के प्रश्न विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इन गृहकार्य को पूरा करके छात्र सहायता केंद्र पर निर्धारित समय में जमा करें। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए संबंधित पाठ्यक्रम के समंत्रक/परामर्शदाता -प्राध्यापक से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

५. यदि किसी छात्र सहायता केंद्र पर पर्याप्त छात्रों का पंजीकरण नहीं हुआ है, तो ऐसे केंद्र के छात्रों को निकटतम केंद्र पर संपर्क सत्र और परीक्षा के लिए स्थानांतरित (ट्रांसफर) किया जाएगा।

६. **अत्यंत महत्वपूर्ण:** प्रथम वर्ष में जिस नाम से पंजीकरण लिया गया है, उसी नाम से डिग्री/पदवी प्रमाणपत्र मिलेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यदि नाम में बदलाव हुआ है, तो राजपत्र की प्रति /प्रत अनिवार्य है।

७. विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकपत्र/गुणपत्रक या उपाधि (**Degree**) प्रमाणपत्र खो जाने पर, विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार नुसार निर्धारित शुल्क रुपये ६००/- (रुपये छह सौ) भरकर द्वितीय प्रति की मांग की जा सकती है। इसके अलावा, १०० रुपये के बॉण्ड पेपर पर स्वघोषित शपथ पत्र (**Affidavit**) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

८. छात्र प्रवेश, गृहकार्य, परीक्षा, पुनर्परीक्षा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखे। छात्र सहायता केंद्र के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना आपके लिए सहायक होगा ।

इ) विश्वविद्यालय का मुख्यालय

'ज्ञानगंगोत्री परिसर', गोवर्धन, गंगापुर बांध के पास, नासिक - ४२२ २२२
दूरभाष क्र. (०२५३) २२३१७१४, २२३१७१५, २२३०२२७

- **विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों के कार्यालय का समय निम्नलिखित हैं।**
  - सुबह १०.०० से शाम ५.४५ (दोपहर १.३० से २.०० तक अवकाश)
  - रविवार, हर माह पहला और तीसरा शनिवार तथा शासकीय छुट्टियों के दिन उपरोक्त कार्यालय बंद रहेंगे।

- **विशेष समस्याओं के संबंध में संपर्क**

  १. **सूचना पुस्तिका, पंजीकरण आवेदन, छात्र सहायता केंद्र की समस्याएं**
     - निदेशक, छात्र सेवा विभाग, नासिक
     - पंजीकरण प्रमुख, पंजीकरण कक्ष, नासिक
     - क्षेत्रीय निदेशक, संबंधित क्षेत्रीय केंद्र

  २. **पाठ्यक्रम (विषय) संबंधी समस्याएं**
     - निदेशक, मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकाय
       दूरभाष: (०२५३) २२३१४७५ ई-मेल: dir_shu@ycmou.digitaluniversity.ac

  ३. **पंजीकरण, पंजीकरण क्रमांक, पता परिवर्तन, केंद्र परिवर्तन**
     - **पंजीकरण प्रमुख, पंजीकरण कक्ष, नासिक**
       दूरभाष: (०२५३) २२३१४७५ ई-मेल: nondani@ycmou.digitaluniversity.ac

४. परीक्षा, परीक्षा आवेदन, परीक्षा क्रमांक, परिणाम, डिग्री/पदवी प्रमाणपत्र आदि

- परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा विभाग
  दूरभाष: (०२५३) २२३०७१६ ई-मेल: coe@ycmou.digitaluniversity.ac

५. अध्ययन सामग्री, पुस्तकें आदि:

- भंडार प्रबंधक, भंडार और प्रेषण कक्ष
  दूरभाष: (०२५३) २२३०१०७

६. छात्रवृत्ति

- छात्रवृत्ति कक्ष, य. च. म. मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक
  दूरभाष: (०२५३) २२३००५० ई-मेल : scholarship@ycmou.digitaluniversity.ac

७. संबंधित क्षेत्रीय केंद्र

❖ महत्वपूर्ण सूचना

- शैक्षिक वर्ष 2025 -26 में पंजीकरण छात्रों को हिंदी स्नातकोत्तर उपाधि (एम. ए.) पाठ्यक्रम की स्व-अध्ययन सामग्री केवल .Pdf रूप में विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर ही उपलब्ध की गई है। छात्र इसका ध्यान रखें।
- 'क्षेत्रीय परियोजना' और 'संशोधन परियोजना' को निर्धारित समय में छात्र सहायता केंद्र पर प्रत्यक्ष जाकर जमा करना आवश्यक है। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करना है।
- महाराष्ट्र के किसी शैक्षणिक शिक्षाक्रम में २० से कम पंजीकरण होने पर वर्ष २०२४-२५) में उस पाठ्यक्रम को स्थागित करने का पूरा अधिकार विश्वविद्यालय के पास रहेगा। ऐसे स्थिति में उस शिक्षाक्रम के लिए जिन छात्रों ने शुल्क भुकतान की उन सभी छात्रों का पूर्ण राशि वापस कर दी जाएगी।
- In case of less than 20 admissions to any Program (from entire State of Maharashtra), the university will have right to put the program on hold in the academic year 2024-25. In such case, total fees paid by the learner towards the Program fees will be refunded.

११. परिशिष्ठ

परिशिष्ठ १ : उम्मीदवार / छात्र करार (हिंदी)

यह करार/अनुबंध छात्र या उम्मीदवार और यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय (यचममुवि) के बीच है। छात्र/उम्मीदवार द्वारा Accept/'स्वीकार बटन पर क्लिक करने से यह करार/अनुबंध स्वयं ही अस्तित्व में आ जाएगा और दोनों पक्षों द्वारा मान्य, स्वीकृत और वैध माना जाएगा।

इस करार/अनुबंध में'उम्मीदवार' शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया गया है जो यचममुवि द्वारा संचालित शिक्षाक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं और 'छात्र' शब्द का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए किया गया है जिन्होंने यचममुवि द्वारा संचालित शिक्षाक्रम में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन कर प्रवेश लिया है।

उम्मीदवार यह स्वीकार तथा मान्य करता है कि,

१. छात्र ने शिक्षाक्रम दर्शिका में उपलब्ध जानकारी/सूचना के साथ-साथ वेबसाईट पर उपलब्ध पाठ का व्यवस्थित रूप से अध्ययन कर आगे का कार्य करे।

२. छात्र ने यह सुनिश्चित किया है कि वह अपनी रूचि के पाठ्यक्रम के लिए पात्र है। यदि वह शिक्षाक्रम दर्शिका अथवा कम्प्यूटर के पटल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अपात्र है तो, उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा और विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया गया शुल्क आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वापस नहीं किया जाएगा।

३. छात्र ने शिक्षाक्रम दर्शिका से संबंधित शिक्षाक्रम की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। उसे अध्ययन सामग्री (पुस्तकें) किस रूप में (छपी हुई पुस्तकें, ई-बुक, मोबाईल दृश्य-श्राव्यटेप, सीडी, इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री) उपलब्ध होगा इस संदर्भ में कोई आक्षेप नहीं और वे यह भी माँग नही करेंगा कि वे शिक्षाक्रम दर्शिका में दिए गए अध्ययन सामग्री के अलावा किसी भी रूप नहीं में उपलब्ध हो।

४. यदि वह यचममुवि के संबंध में कोई शिकायत या विवरण देना चाहता है तो उसे कंप्यूटर प्रणाली का (यूजरआयडी) उपयोग ही करना होगा। ऐसी शिकायत अथवा आवेदन के द्वारा उत्पन्न वजह/कारणों की तिथि से ३०दिनों के भीतर कम्प्यूटर प्रणाली के उपयोग से ही करना होगा।

५. उसे यह मान्य और स्वीकार है कि, विश्वविद्यालय को शिक्षाक्रम रखने /संचालित करने के लिए नियमों में परिवर्तन करने, नीतियों में,अध्ययन सामग्री में बदलाव करने का अधिकार है, और इन नियमों, नीतियों, अध्ययन सामग्री, और पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव उसके लिए प्रतिबंधक /बाध्यकारी होंगे, और इस संदर्भ में उसकी कोई भी शिकायत नहीं होगी।

६. वह शिक्षा के दौरान विश्वविद्यालय में पंजीकृत अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेगा।

७. यह स्वीकार करता है कि, विश्वविद्यालय के पास पंजीकरण के समय (फोटो, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, पता आदि) विश्वविद्यालय को दी जानकारी में बदलाव करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास है।

८. यह सहमति और स्वीकार किया जाता है कि, यदि विश्वविद्यालय सरकार से जिन छात्रों के शुल्क प्राप्त नहीं होगा (छात्रवृत्ति छात्रों के संबंध में) ऐसे छात्रों को परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा और यदि छात्र ने परीक्षा दी है,ऐसे में छात्र का परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा तब तक छात्र विश्वविद्यालय का शुल्क जमा नहीं करता।

९. छात्र इस बात से भी अवगत है कि उसके द्वारा दी जानकारी असत्य या अधूरी पाया गया तो उसकी प्रवेश निरस्त हो सकता. छात्र को पदवी या पदविका प्रदान करने के बाद उसने दी जानकारी में असत्य, अधूरी मिलने पर उसकी पदवी या पदविका निरस्त की जाएगी।

१०. छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट (https://ycmou.digitaluniversity.ac/and https://ycmou.ac.in/)पर नियमित रूप से देखेगा और वहां दिए गए शैक्षिक अथवा परीक्षा संबंधी सूचना (परीक्षा हॉल टिकिट डाउनलोड करना और उसकी प्रिंट करना आदि) का पालन करेगा।

११. वह विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षाक्रम का अध्ययन अपेक्षित परिश्रम, अनुशासन के साथ और ईमानदारी से करेगा, साथ ही विश्वविद्यालय की योग्य छात्र की तरह व्यवहार करेगा और ऐसा कुछ भी नही करेगा जो विश्वविद्यालय के नियम के विरुद्ध हो।

परिशिष्ठ 1 : Candidate/Student Agreement at the time of Admission (English)

This is an agreement between the student or candidate and the YCMOU which is entered into by virtue of the candidate for admission clicking on '**ACCEPT**' button on the online admission portal at the time of admission to a program using online admission process. '

In this agreement the term "candidate" is used to mean the person who proposes to take admission to a program in YCMOU and the term "student" is used to mean a person who has been admitted to a program of the YCMOU after fulfilling all the conditions thereof.

The candidate undertakes that –

1. He has gone through the prospectus and the onscreen narrations or directions and has sincerely responded to the on-screen directions.

2. He has ensured that he is eligible to the program to which he proposes to take admission and that if it is found otherwise, (that is, if he is found not to be fulfilling the conditions of the eligibility at

any time as per the rules mentioned in the prospectus or the on-line narrations) his admission will be summarily cancelled and the fees paid to the university will not be refunded in part or in full.

3. The information about the medium/mode of delivery of the Study Material (for example printed books, e-books, mobile app, audio/ video material available on internet or through CD/DVD, etc) has been duly studied by me in the relevant pages of the prospectus and I have no objection to the said mode of delivery. He shall not make any demands on the methods or medium of delivery other than that mentioned in the prospectus.
4. He shall make any representations to the YCMOU by logging on as a student in respect of any activities of grievances within a period of thirty days from the date of cause of the grievances or by an email to the university at the designated e-mail address.
5. He understands that the University reserves right to make changes in the rules or syllabi or learning material or any other policy matter as a matter of urgency and that such changes in the rules, syllabi or policy matters shall be binding and applicable on him and that he shall not make objections to such changes.
6. He shall not change his mobile number as registered with the University during the time of admission to the program.
7. He understands that the University shall levy charges on changes in profiles of the student, including the photograph, mobile number, date of birth, etc.
8. He understands that in case the University does not receive the fees from the Government (in case of Scholarship or Free-ship candidates), the student may be barred from taking examinations and his results shall not be declared till such time that the fees have been received.
9. He understands that any incorrect or incomplete information given by him is liable to cancellation of his admission or withdrawal of degree or diploma awarded to him as and when the university gets to know of such supply of incomplete or incorrect information.
10. He shall visit the University's website (ycmou.ac.in) regularly and undertake necessary steps for academic and administrative purposes as expected from him including downloading of the examination hall ticket and printing the same.
11. He shall undertake studies of the academic program with necessary industry, discipline, honesty and conduct himself with due dignity and shall do nothing which is unbecoming of a student of the YCMOU.

परिशिष्ट 2 : गरीब छात्र सहायता योजना के नियम

१. नाम: इस योजना का नाम गरीब छात्र सहायता योजना हैं ।

२. व्याप्ति

२.१ गरीब छात्र सहायता योजना लाभ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों को दी जाती है। यह योजना एक वर्ष से अधिक अवधि के पाठ्यक्रम के लिए लागू होगी।

२.२ नेत्रहीन, विकलांग, बधिर एवं कम सुननेवाले छात्रों के लिए पूर्ण शुल्क तथा अंकों में छूट प्रबंधन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दी जाएगी।

२.३ यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए लागू होगी ।

३. पात्रता मानदंड :

३.१ गरीब छात्र सहायता योजना अंतर्गत लाभ पाने के लिए परिवार की वार्षिक आय रु.१,००,०००/-से अधिक न हो।

३.२ तहसीलदार का मूल आय-प्रमाणपत्र पिछले वित्तीय वर्ष का होना चाहिए।

३.३ इस योजना का लाभ पाने वाले छात्र को पिछले शैक्षणिक वर्ष की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

३.४ गरीब छात्र सहायता योजना के अंतर्गत जिन छात्रों ने इस योजना का लाभ उठाया है ऐसे छात्राओं को सभी विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

३.५ जिन छात्रओं ने इस योजना का लाभ लिया है, उन्हें उस शैक्षणिक वर्ष की पाठ्यक्रम को पूर्ण करना आवश्यक है,यदि छात्र पाठ्यक्रम को किसी कारणवंश पूरा नहीं कर पाया या उसका प्रवेश निरस्त हो जाता है। ऐसे स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई राशि और प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय को वापस करने की जिम्मेदारी संबंधित छात्र अध्ययन केंद्र तथा क्षेत्रीय केंद्र की रहेगी।

३.६ इस योजना का लाभ उन छात्रों को देय नहीं है जिन्होंने राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है।

३.७ यह योजना रु. ३०००/-से कम लागत वाले शिक्षाक्रम के लिए लागू नहीं है।

४. योजना की अंक मानदंड

४.१ यदि छात्र शहरी क्षेत्र से है - १ अंक

४.२ यदि छात्र ग्रामीण क्षेत्र से है - २ अंक

४.३ यदि छात्र दूरस्थ क्षेत्र से है - ३ अंक

४.४ अगर छात्र परियोजना प्रभावित है - २ अंक

४.५ खिलाडी है (मंडल अथवा राज्यस्तर) - ४ अंक

४.६ आय सीमा रुपये ३५,०००/- तक - ३ अंक

४.७ आय सीमा रु. ७०,०००/- तक - २ अंक

४.८ आय सीमा रु. १,००,०००/- तक - १ अंक

५. देय राशि

५.१ इस योजना के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर और शिक्षा स्तर के लिए तय की गई लागत के आधार पर स्वीकार्य राशि का निर्धारण किया जाएगा।

५.२ डिप्लोमा पाठ्यक्रम रु. ३,०००/- अथवा पाठ्यक्रम शुल्क इन में से जो भी कम हो।

५.३ डिग्री पाठ्यक्रम है तो रू. ५०००/- या ट्यूशन शुल्क जो भी कम है वह।

५.४ स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम रु. ५०००/- अथवा पाठ्यक्रम शुल्क से जो भी कम हो।

५.५ स्नातकोत्तर डिग्री रू. ७०००/- अथवा पाठ्यक्रम शुल्क से जो भी कम हो।

५.६ गरीब छात्र सहायता निधि योजना के लिए बजेटीय प्रावधान उस शैक्षणिक वर्ष मे आरक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा।

देय राशि का उदाहरण सारणी :

अनु. क्र.	न्यूनतम अंक	स्वीकार्य राशि प्रमाण%	डिप्लोमा	स्नातक / स्नातकोत्तर डिप्लोमा	स्नातकोत्तर उपाधि
१.			रु. ३०००/-	रु. ५०००/-	रू. ७०००/-
२.	०२	३०	९००/-	१५००/-	२१००/-
३.	३ - ५	५०	१५००/-	२५००/-	३५००/-
४.	६-और अधिक	१००	३०००/-	५०००/-	७०००/-

६. गरीब छात्र सहायता योजना के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रियाँ

६.१ गरीब छात्र सहायता निधि योजना के निर्धारित प्रारूप में आवेदन निर्धारित समय के भीतर छात्र सहायता केंद्र में जमा करना आवश्यक होगा।

६.२ छात्र सहायता केंद्र अथवा समन्वयक के लिए छात्र द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाना अनिवार्य होगा।

६.३ छात्र के हस्ताक्षर और राष्ट्रीयकृत बैंक विवरण जैसे की बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, आय.एफ.एस.सी कोड आवेदन पत्र में शपथपत्र पर दर्ज किया जाना चाहिए।

६.४ पिछले वर्ष इस योजना का लाभ उठाने वाले छात्र ने पिछले वर्ष की अंक तालिका की झेरॉक्स कॉपी/छायाकिंत प्रत संलग्न की या नहीं ,उन्होने पिछले वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की या नहीं, आदि छात्र सहायता केंद्र के प्रमुख को देखना चाहिए।

६.५ छात्र सहायता केंद्र के प्रमुख ने छात्रों से निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र भरवाकर क्षेत्रीय केंद्र जमा करें।

६.६ छात्र सहायता केंद्र द्वारा क्षेत्रीय केंद्र को प्रस्तुत आवेदन की जांच उपर्युक्त मानदंड के आधार क्षेत्रीय केंद्रों पर भेजनी है।

६.७ विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए निर्धारित प्रारूप में जानकारी के साथ Excel Sheet में करके Hard Copy /Soft Copy में भी बनाये।

६.८ प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में अध्ययन केंद्रों द्वारा १५ अक्तूबर तक गरीब छात्र सहायता योजना के लिए आवेदन को जमा करना है। क्षेत्रीय केंद्र को १५ नवंबर तक आवेदन पत्र व सारणी की जानकारी सहायक कुलसचिव, पंजीकरण कक्ष को प्रस्तुत करें।

६.९ पात्र छात्रों की अंतिम सूची जनवरी में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित की जाएगी।

परिशिष्ठ 3 : University Grants Commission Resolution (2004)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बहादुरशाह जाफर मार्ग,
नई दिल्ली-110 002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110002

F1-52/2000(CPP-II) 5 MAY 2004

The Registrar / Director
Of all the Indian Universities
(Deemed, State, Central Universities /
Institutions of National importance)

Subject : Recognition of Degrees awarded by Open Universities.

Sir/Madam,

There are a number of open Universities in the country offering various degrees/diploma through themode of non-formal education. The Open Universities have been established in the country by anAct of Parliament or State Legislature in accordance with the provisions contained in Section2(f) of University Grants Commission Act, 1956. These universities are, therefore, empoweredto award degrees in terms of Section 22(1) of the UGC Act, 1956.

A circular was earlier issued vide UGC letter N.F.1-8/92(CPP) dated February, 1992 mentioning thatthe Certificate, Diplomas and Degrees awarded by Indira Gandhi National Open University are to betreated equivalent to the corresponding awards of the Universities in the country.

Attention is further invited to UGC circular No.F1-25/93(CPP-II) dated 28th July, 1993 (copyenclosed) for recognition of degrees and diplomas as well as transfer of credit for courses successfullycompleted by students between the two types of universities so that the mobility of students fromOpen University stream to traditional Universities is ensured without any difficulty.

The UGC has specified the nomenclature of degrees under Section 22(3) of the UGC Act, 1956 toensure mandatory requirements viz. minimum essential academic inputs required for awarding suchdegrees. A copy of Gazette Notification regarding specification of degrees issued vide No.1-52/97(CPPII)dated 31st January 2004 is enclosed. The details are also given in UGC Web site :www.ugc.ac.in

May, I therefore request you to treat the Degrees / Diploma / Certificates awarded by theOpen Universities in conformity with the UGC notification on Specification of Degrees asequivalent to the corresponding awards of the traditional Universities in the country.

Yours faithfully

(Dr. Mrs. Pankaj Mittal)
Joint Secretary.
Encl.: As Above
Copy to :

1. The Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary Education and Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi-110001.
2. The Secretary, All Indian Council for Technical Education, I.G. Sports Complex, Indraprastha Estate, New Delhi
3. The Secretary, Association of Indian Universities (AIU), 16, Comrade Inderjit Gupta Marg, New Delhi -110002.
4. The Secretary, National Council for Teacher Education, I.G. Stadium, I. P. Estate, New Delhi-110002.
5. The Director of Distance Education Council, IGNOU Campus, Maidan Garhi, New Delhi-110068.
6. The Vice-Chancellor, Indira Gandhi National Open University, Maidan Garhi, New Delhi-110068.
7. The Vice-Chancellor, Dr. B. R. Ambedkar Open University, Road, No. 46, Jubilee Hills, Hyderabad (AP)
8. The Vice-Chancellor, Nalanda Open University, West Gandhi Maidan, Patna-800001 (Bihar)
9. The Vice-Chancellor, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Shahigaug, Ahmedabad-380003 (Gujarat)
10. The Vice-Chancellor, Karnataka State Open University, Manasagangotri, Mysore-570006 (Karnataka)
11. The Vice-Chancellor, Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nashik-422222 (Maharashtra)
12. The Vice-Chancellor, Kota Open University, Vardhaman Mahaveer Open University, Kota-324010 (Rajasthan)
13. The Vice-Chancellor, Netaji Subhash Open University, Kolkata-700020 (West Bengal)
14. The Vice-Chancellor, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal-462016 (M.P.)

(V.K. Jaiswal)
Under Secre

परिशिष्ठ 4: G.R. of Equivalency and Approval of State Govt of Maharashtra for Degree's and Diploma's of Open Universities

मुक्त विद्यापीठाच्या पदव्यांना समकक्षता व शासन मान्यता

(१अन्य विद्यापीठांच्या पदवीशी समकक्षता

मामहाराष्ट्र (उच्च शिक्षण) शिक्षण संचालक . १-मवि/३२८६१/१०९४/(.शि .उ) समक .राज्य यांच्या पत्र क्र, दि च्या पत्रान्वये ऑक्टोबर १९९५ ३० .'केंद्रीय किंवा राज्य विधिमंडळाने अधिनियमाद्वारे भारतातील विद्यापीठाने दिलेली पदवीपदविका आणि संसदेने अधिनियमाद्वारे इतर शैक्षणिक / संस्था प्रस्तावित केलेल्या आहेत किंवा विद्यापीठ अनुदान अन्वये ३ .मधील कलम क्र (१९५६) आयोग अधिनियम मानीव विद्यापीठे घोषित केली आहेत अशांच्या बाबतीत पदवी किंवा पदविका मान्यता देण्याबाबतचे औपचारिक आदेश विद्यापीठाने काढण्याची आवश्यकता नाही'.

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ हे महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाने अधिनियमाद्वारे .कायदा क्र) स्थापन केलेले विद्यापीठ असून त्यास विद्यापीठ (१९८९/२० अनुदान आयोगाचीही मान्यता आ**त्यामुळे या विद्यापीठाची पदवी इतर विद्यापीठांच्या पदवीशी समकक्ष आहे .**

विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता (२)

विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांनी त्यांचे पत्र क्र .F/S-15/89 (CPP-I) दि. ८ डिसेंबर १९९२ नुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १९५६ च्या कायद्यातील कलम १२बी अन्वये यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त - विद्यापीठास मान्यता दिली आहे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता (३)

उपसचिव व परीक्षा नियंत्रक, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या पत्र क्र (कक्ष/१९९४/१७) १४७७ .**दि . १७फेब्रुवारी १९९४ च्या पत्रातील मान्यतेसंबंधीचा मजकूर -'यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ हे संविधिमान्य)Statutoryअसल्यामुळे आपल्या (विद्यापीठाच्या पदवीधर विद्यार्थ्यांकडून आलेले अर्ज देखील इतर मान्यताप्राप्त विद्यापीठांच्या पदवीधर उमेदवारांकडून आलेल्या अर्जांप्रमाणेच आयोगाकडून विचारात घेतले जातील.**

मुक्त विद्यापीठाच्या पदवी पदविकांना/ महाराष्ट्र शासन मान्यता

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेली विद्यापीठे
राज्य सेवेतील पदासांठी पदवी पदविकास/मान्यता

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

शासन निर्णय१३९४-क्रमांक आरजीडी : /प्र .क्र. २१/९४/१३,मंत्रालय, मुंबई४०००३२, दिनांक ८ मार्च १९९५

वाचा १) :) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आरजीडी१०६१-/१८९६७/११४ - जे दिनांक २१ ऑगस्ट १९६९

शासन निर्णय :

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगाशी विचार विनिमय करून उपरोक्त दिनांक २१ ऑगस्ट १९६९ च्या आदेशाद्वारे असा निर्णय घेण्यात आला होता की, केंद्र अथवा राज्य विधिमंडळाच्या अधिनियमाद्वारे स्थापित झालेली विद्यापीठे, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे स्थापन झालेल्या इतर शैक्षणिक संस्था, किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ च्या अंतर्गत भाग ३ अन्वये जाहीर झालेली मानवी विद्यापीठे यांनी प्रदान केलेल्या पदव्या पदविका / तसेच भारतीय वैद्यकीय मंडळ अधिनियम, १९५६ च्या परिशिष्टांध्ये अंतर्भूत केलेल्या वैद्यकीय व संलग्न विषयामधील पदव्या यांना शासकीय महाविद्यालयातील अध्यापकीय पदे वगळता, **राज्यातील सेवा व पदांवरील भरतीसाठी आपोआप मान्यता प्राप्त झाली असल्याचे समजण्यात यावे.**

)२सदर आदेशासोबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (जोडण्यात मान्यता दिलेल्या वैधानिक विद्यापीठे व संस्थांची यादी आली होतीआयोग मान्यताप्राप्त विद्यापीठे व संस्था यांची अद्ययावत . शासन निर्णय .यादी आता या आदेशासोबत जोडण्यात आली आहे, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक आरजीडी /१८९६७/१०६१ - मध्ये नमूद केलेल्या आणि वर ऑगस्ट १९६९ जे दिनांक २१/९१४ मध्ये उद्धृत केलेल्या परिच्छद १हेतूसाठी सदर सर्व विद्यापीठेसंस्था / पदविकांना आपोआप मान्यता देण्यात /यांनी प्रदान केलेल्या पदवी .आल्याचे समजण्यात यावे

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

दाराणे .र .
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति, (१) राज्यपालांचे सचिव
(२) मुख्य मंत्र्यांचे सचिव
(३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई
(४) महालेखापाल, महाराष्ट्र१-, मुंबई
(५) महालेखापाल, महाराष्ट्र २-, मुंबई
(६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई
(७) अभिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
(८) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई
(९) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई
(१०) प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई
(११) सर्व मंत्रालयीन शिक्षण
(१२) मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख
(१३) अवर सचिव, भारत सरकार, शिक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली
(१४) निवड नस्ती

वाचा .डी.जी.महाराष्ट्र शासनाच्या उपरोक्त शासन निर्णय क्रमांक आर : १३९४/प्रक्र.२१./९४/१३ मंत्रालय, मुंबईच्या मार्च १९९५ दिनांक ८ . जोडलेल्या यादीमध्ये यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ सोबत, नाशिक यांची अनुक्रमांक १४६ वर नोंद करण्यात आलेली आहे.
नाशिक यांची अनुक्रमांक १४६ वर नोंद करण्यात आलेली आहे.

परिशिष्ठ 5 : १० वी और १२ वी से समकक्षता संबंधी सरकारी निर्देश

यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, नाशिक व
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था, नवी दिल्ली यांची
प्रमाणपत्रे शासनसेवेसाठी समकक्ष म्हणून विचारात घेण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : आरजीडी-१५११/प्र.क्र.८९/१३,
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०००३२
दिनांक : २० मे, २०११.

वाचा:

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : आरजीडी-१३९८/प्र.क्र.६७/९८/१३, दिनांक १० डिसेंबर, १९९८.

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : आरजीडी-१३०५/प्र.क्र.२४/२००५/१३, दिनांक १२ डिसेंबर, २००६.

शासन निर्णय :

यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, नाशिक येथून प्राप्त केलेली शैक्षणिक अर्हता शासकीय सेवेतील नियुक्तीसाठी ग्राह्य धरण्याबाबत सर्वसाधारण सूचना निर्गमित करण्याचे निदेश मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, मुंबई यांनी श्री. राजेंद्र घुणकीकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन (मूळअर्ज क्र. ६७०/२००८) वर दिले आहेत. त्यावर, शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार यासंदर्भात खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

१. ''ज्या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमात १० वी/१२ वी (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) परीक्षा उत्तीर्ण असणे अशी किमान अर्हता विहित केलेली असेलत्या बाबतीत, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाची माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण नसलेला मात्र, यशवंतराव चव्हाण मुक्तविद्यापीठाची पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पदवी परीक्षेचे प्रथम वर्ष उत्तीर्ण झालेला वा यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठातून पदवी धारण केलेला उमेदवार पात्र समजण्यात यावा.''

२. बृहन्मुंबईतील लिपिक-टंकलेखक पदावरील नियुक्तीसाठी विहित करण्यात आलेल्या सेवाप्रवेश नियमातील २ (इ) मध्ये ''महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाने नियंत्रित केलेली माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा आणि या परीक्षेस समकक्ष घोषित केलेल्या इतर परीक्षा अंतर्भूत असल्याचे नमूद केले आहे.'' तसेच, उमेदवारांकडे महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र असणेही आवश्यक आहे.राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान, नवी दिल्ली या विद्यालयाची माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या एका उमेदवाराने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकारणाकडे दाखल केलेल्या प्रकरणात (मूळ अर्जक्रमांक २०४/२०१०) राज्य शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले आहेत. केंद्रशासनाने कायद्यान्वये स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था, नवी दिल्ली (National Institution ofOpen Schooling,New Delhi) या विद्यालयाची माध्यमिक शालांत परीक्षा (किमान ५ विषयांसह) उत्तीर्ण केलेल्या उमेदवारांना शालेय शिक्षण विभागाने अकरावी प्रवेशासाठी पात्र ठरविले आहे. मात्र, शासन सेवेतील नियुक्तीसंदर्भात समकक्षतेबाबत कोणतेही आदेश नाहीत. केंद्रिय मनुष्यबळ विकासमंत्रालयाने सर्व राज्यांना, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था, नवी दिल्ली (National Institution of Open Schooling,New Delhi)यांच्याकडून दिली जाणारी प्रमाणपत्रे उच्च शिक्षण व नोकरीसाठी (Employment) ग्राह्य (समकक्ष) धरण्याबाबत कळविले आहे. ही बाब विचारात घेऊन, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत माध्यमिक शालांत परीक्षेबाबत दिलेले प्रमाणपत्र, माध्यमिक शालांत परीक्षा अशी अर्हता असलेल्या पदांवर नियुक्तीसाठी ग्राह्य धरण्याची बाब देखील शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यावर, शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार यासंदर्भात खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत. ''राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्था, नवी दिल्ली यांची (मराठी व इंग्रजीसह किमान ५ विषयांसह) शालांत परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व सदर प्रमाणपत्र (Secondary School Examination Certificate) धारण करणाऱ्या उमेदवारांनी, राज्य शासन सेवेमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण अशी अर्हता विहित केली असेल त्या त्या ठिकाणी शासन सेवेसाठी शालांत परीक्षा समकक्ष पात्रता आपोआप धारण केली आहे असे समजण्यात यावे.''

३. त्यानुसार, सर्व नियुक्ती प्राधिकारी यांनी कार्यवाही करावी. हे आदेश या आदेशाच्या दिनांकापासून तात्काळ अंमलात येतील.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०११०५२०१३५१०४००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(बा. वि. निकम)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

परिशिष्ठ ६ : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मान्यता

Appendix - 7 : Letter of Recognition from UGC

APPENDIX 1

APPENDIX 1.1 : LETTER OF RECOGNITION FROM UGC

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110002.

NO. F.5-15/89 (OPP-I) December, 1992

The Secretary
Govt. of Maharashtra
Higher and Technical
Education and Employment Deptt.
Mantralaya Annexe
Bombay- 400032.

Sub : Recognition of Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, *Nashik for Central assistance under Section 12-B of the UGC Act, 1956.*

Sir,

With reference to the correspondence resting with your letter No. MOU/ 63003 (241/92) UNI dated 11th November, 1992 on the above subject, I am to say that the University Grants Commission has agreed to declare the Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University Nashik established under Maharashtra State Act No. XX of 1989, fit to receive Central assistance for all purposes including Institutional development in terms of the rules framed under Section 12-B of the UGC Act, 1956.

The receipt of the letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

Sd/xxx
(I J GUPTA)
JOINT SECRETARY

Copy to: -

1. The Vice - Chancellor, Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nashik-422005.
2. Secretary to the Govt. of India, Ministry of Human Resource Development (Deptt. of Education) New Delhi.
3. The Registrar, Indira Gandhi National Open University, Maidan Garhi, New Delhi- 110068.
4. The Secretary, Association of Indian Universities, 16, Kotla Marg, New Delhi- 110002.
5. *Desk Officer (Meeting) / S.O.FD-III/S.O.SU-II/S.S.O.-I, Stat, U.G.C. New Delhi.*
6. All Officers /Sections, UGC New Delhi.

Sd/-
(D. D. Mehta)
SECTION OFFICER

परिशिष्ठ ७ : एक से अधिक शिक्षाक्रम में पंजीकरण की अनुमती

DISTANCE EDUCATION COUNCIL
INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

15983-16229

F.No.DEC/Notification/40.5.1.5/2012
Dated:01.11.2012

NOTIFICATION

Sub: Policy on pursuing two or more programmes simultaneously in various combinations - regarding.

The Distance Education Council in its 40th meeting held on 08.06.2012 has decided on the policy on pursuing two or more programmes simultaneously in various combinations. Two degree programmes cannot be allowed to be pursued simultaneously. However, a student can pursue two programmes simultaneously through distance or combination of distance and regular modes from the same or different University(ies)/ Institution(s) in various combinations, *viz.*,

1. One Degree and one Diploma/Post Graduate Diploma/Certificate
2. One Post Graduate Diploma and one Diploma/Certificate
3. One Diploma and one Certificate
4. Two Post Graduate Diplomas
5. Two Diplomas
6. Two Certificates

This is for information and adherence by all concerned.

(DIRECTOR)

To

VCs of all SOUs/ Heads of DEIs

3. The Registrar
YCMOU
Dnynagangotri, Near Gangapur Dam
Nashik-422 222,
MAHARASHTRA

परिशिष्ठ 8 : छात्र सहायता और छात्र कल्याण योजना

- **छात्र सहायता:** अल्प उत्पन्न घटक के कमजोर होशियार या प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा छात्र सहायता योजना शुरू की है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने १५ लाख रुपये का प्रावधान की गई है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रवेशित पाठ्यक्रम के शुल्क में छुट दी जाती है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने एक निर्धारित मॉडल विकसित किया है, इस योजना के तहत पात्र छात्रों को प्रवेश शुल्क मे छूट दी जाती है।
- **छात्र कल्याण योजना:** छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए प्रत्येक वर्ष खेल और युवा उत्सव आयोजित की जाती है। अंतरविश्वविद्यालयीन महोत्सव में भी मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों को सहभागिता होने का अवसर प्रदान किया जाता है।
- **खेल महोत्सव:** विश्वविद्यालय के छात्रों को खेल के मैदान उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्रों और विश्वविद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं की आयोजन की जाती है। इससें छात्र राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें और माननीय राज्यपाल कार्यालय द्वारा आयोजित आंतरविश्वविद्यालय अश्वमेध एवं ए. आई. यू. खेल प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले सकें।
- **युवा उत्सव:** विश्वविद्यालय ने क्षेत्रीय और केंद्रीय स्तर पर युवा उत्सव शुरू किए है ताकि विश्वविद्यालय के कलात्मक छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। इसमें वक्तृत्व प्रतियोगिताएँ, एकांकी, नृत्य संगीत, गायन जैसी प्रतियोगिताएँ शामिल है। मा. राज्यपाल के कार्यालय द्वारा आयोजित इंद्रधनुष और ए. आय. यु.(भारतीय विश्वविद्यालय संघ) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में छात्र भाग ले सकते है।
- **अविष्कार:** विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों के बीच अनुसंधान प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए मा. राज्यपाल कार्यालय के ओर से प्रत्येक वर्ष, वार्षिक अविष्कार अनुसंधान प्रतियोगिता का आयोजित की जाती है। इस इंटर विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्सव में मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों भी सहभागी हो सकते हैं।
- **संवाद पत्रिका:** मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों में लेखन कौशल विकसित करने साथ संपर्क स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय मासिक रूप में संवाद पत्रिका प्रकाशित करती हैं। पत्रिका के माध्यम से छात्रों के लिए उपयोगी सुचना, लेख, सुझाव शामिल है। संवाद पत्रिका का उद्देश्य यह कि छात्रों को दूरुस्थ शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। संवाद पत्रिका विश्वविद्यालय की वेबसाईड पर सॉफ्टकाफी में उपलब्ध है।
- **राष्ट्रीय सेवा योजना:** पारंपारिक विश्वविद्यालय की तरह मुक्त विश्वविद्यालय ने भी राष्ट्रीय सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1500 छात्रों का चयन किया जाता है।

निम्नलिखित छात्रों को पाठ्यक्रम शुल्क में छूट दी जाती है।

१. अंध, विकलांग, मूक-बधीर, बधीर छात्र (परिशिष्ट क्र. ३ देखिए)
२. विश्वविद्यालय के नियमित वेतनमान कार्यरत कर्मचारी और उनके परिजनों को (स्वयं की पत्नी/ पति, दो से अधिक आश्रित बच्चे नहीं होने चाहिए।)
३. पिछड़ा वर्ग (सरकारी नियमों के अधीन) छात्र

उपरोक्त श्रेणी के छात्रों ने प्रवेश के समय संपूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क अदा कर प्रवेश लीजिए। प्रवेश होने के बाद विश्वविद्यालय और सरकार नियम के अनुसार शिक्षाक्रम शुल्क में छुट दी जाएगी।